न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 01/2010

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 ग्राम पंचायत लुणा पंचायत समिति जलसीसर जिला झुंझुनू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लुणा।

अपीलांट

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र घड़सीराम।
2 महावीर प्रसाद पुत्र भागुराम।
3 विजय सिंह पुत्र पितराम।
4 गोरूराम पुत्र नाथाराम।
5 धुकलराम पुत्र नाथाराम।
6 हरफुल पुत्र घड़सीराम।
7 इन्द्रदान पुत्र मुरारदान।
8 सुभाष पुत्र सांवलदान समस्त जाति जाट निवासीगण चारणवासी ग्राम पंचायत लुणा तहसील व जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील बखिलाफ निर्णय जिला कलक्टर झुंझुनू
निर्णय दिनांक 27.10.09 पत्रावली संख्या 12:3:194
राज/02 बाबत ग्राम पंचायत लुणा ने ग्राम चारणवासी
ने आबादी विस्तार हेतु आवंटन मुकदमा उनवानी
ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार आदि

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थित

1. श्री विनोद गिल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 27-5-19

यह अपील विचारण न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा पत्रावली संख्या 12:3:194:राज/02 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर झुंझुनू द्वारा शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप 3 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश कमांक प.2/राज./ग्रुप–3/2002 जयपुर दिनांक 13.05.2002 द्वारा ग्राम लुणा में आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित रकबा 2 एकड़ के आवंटन का आदेश दिनांक 29.05.2002 को जारी किया इस आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में ग्रामीणों द्वारा अपील संख्या 3/2006 पेश की गई। जो दिनांक 12.02.2008 को निर्णित की जाकर उपरोक्त आवंटन आदेश अपास्त किया जाकर विद्वान जिला कलेक्टर को प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवंटन आदेश निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर ग्राम पंचायत लुणा की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत लुणा ने आंवटित भूमि पर पट्टे जारी कर दिये है तथा उक्त जारी किये पट्टों पर पुख्ता मकानात बनाकर आवंटि आबाद है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। पट्टे धारियों को सुना नही

गया है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर आवंटन बहाल रखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ है जो नियमानुसार आवंटित नही की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अनुसार भी यह आवंटन विधि विरूद्ध है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है इसमें नियमानुसार आवंटन नही किया जा सकता है विचारण न्यायालय ने इसे दृष्टिगत रखते हुये आवंटन निरस्त किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर